<u>प्रेस नोट दिनांक 25.06.2026</u>

<u>थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।</u>

<u>थाना शीशगढ़ #bareillypolice द्वारा 02 शातिर गौकशों को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस, गौकशी के उपकरण, गोवंशीय पशु का मांस एवं 01 बाइक बरामद।</u>

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.06.2026 को समय 15:30 बजे SHO शीशगढ़ द्वारा मय पुलिस फोर्स के साथ पुलिस जीप से शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में गशत की जा रही थी। इस दौरान पुलिस टीम गशत करते हुए गुलामगंज रोड से नई बस्ती जाने वाले मोड़ की ओर पहुंचे तो एक बाइक पर सवार 02 व्यक्ति नई बस्ती की ओर से आते दिखाई दिये, पीछे बैठे व्यक्ति ने एक प्लास्टिक के कट्टे में कुछ भरा हुआ पकड़ा हुआ था। इनके द्वारा पुलिस की गाडी अपनी ओर आते देख बाइक को पीछे मोडने का का प्रयास किया गया तथा बाइक फिसल कर गिर गयी। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया। बदमाशों की फायरिंग में उ0नि0 धर्मेंद्र सिंह बाएं कंधे में फायर आर्म्स इंजरी से घायल हो गए। पुलिस टीम द्वारा जवाबी आत्मर्क्षाथ की गयी फायरिंग में दोनो बदमाश पैरो में गोली लगने से घायल होकर गिर गये। पूछताछ में बदमाशो ने अपने नाम नाम 1. जलीश पुत्र दबीर निवासी मोहल्ला कंचनकुआ कस्बा थाना शीशगढ़ उम्र 42 वर्ष (बाए पैर में गोली लगने से घायल) 2. सदाकत पुत्र सखावत निवासी नई बस्ती कस्बा थाना शीशगढ़ जनपद बरेलीउम्र 45 वर्ष (दोनो पैरो में गोली लगने से घायल) बताये। बदमाशों के कब्जे से से 02 तमंचे, 04 जिंदा कारतूस, 05 खोका कारतूस 315 बोर, गौवंशीय मांस, गौकशी के उपकरण व 01 बाइक बरामद हुए है। घायल बदमाशों व उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। बरामद मांस का चिकित्सय परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. जलीश पुत्र दबीर निवासी मोहल्ला कंचनकुआ कस्बा थाना शीशगढ़ उम्र 42 वर्ष (बाए पैर में गोली लगने से घायल)
2. सदाकत पुत्र सखावत नि0 नई बस्ती कस्बा थाना शीशगढ़ जनपद बरेलीउम्र 45 वर्ष (दोनो पैरो में गोली लगने से घायल)

बरामदगी का विवरण

02 तमंचे, 04 जिंदा कारतूस, 05 खोका कारतूस 315 बोर, गौवंशीय मांस, गौकशी के उपकरण व 01 बाइक

आपराधिक इतिहास सदाकत उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 133/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
2. मु0अ0सं0 031/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
3. मु0अ0सं0 346/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
4. मु0अ0सं0 507/05 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना शीशगढ़ जनपद बरेली

आपराधिक इतिहास जलीश उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 254/19 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
2. मु0अ0सं0355/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शीशगढ जनपद बरेली
3. मु0अ0सं0 100/21 धारा 429/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना शीशगढ जनपद बरेली
4. मु0अ0सं0 58/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना शीशगढ जनपद बरेली
5. मु0अ0सं0 287/24 धारा 305 बीएनएस व 3/5/8 सीएस एक्ट थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
6. मु0अ0सं0 054/25 धारा 115(2)/324(4)/333/351(3)/64(2) (m)/74/85 बीएनएस थाना शीशगढ जनपद बरेली
7. मु0अ0सं0 67/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना शीशगढ जनपद बरेली
8. मु0अ0सं0170/25 धारा 115(2)/191(2)/333/351(3)/352/74 बीएनएस थाना शीशगढ जनपद बरेली
9. मु0अ0स0 354/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना शीशगढ जनपद बरेली

पूछताछ अभियुक्तगण

अभियुक्तों ने पूछताछ पर संयुक्त रुप से बताया कि सदाकत ने एक ढेड़ वर्षीय गौवंशी पशु बछड़े को पालने के लिए खरीदा था, आज सुबह हम दोनो के द्वारा उक्त बछड़े का वध कर मांस को छिपा दिया था और शाम को मांस को बेचने की योजना बनायी थी। हम दोनो मांस को लेकर बाइक से बेचने जा रहे थे कि रास्ते में सामने से पुलिस की गाडी आ गयी, जिसे देखकर हम घबरा गये और बाइक मोड़ने के चक्कर में हमारी बाइक फिसल गयी। पुलिस हमारी ओर आ रही थी, पकड़े जाने के डर से हमने पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने हमे पकड़ लिया। साहव हमसे गलती हो गयी।